न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-397RAAJodhpur2022-177RTA225 Lichamanram ors Vs Devaram etc

1. लिछमणराम पुत्र रूघनाथराम उर्फ रूगाराम
2. सीताराम पुत्र रूघनाथराम उर्फ रूगाराम
3. मोहनराम पुत्र रूघनाथराम उर्फ रूगाराम
4. हीराराम पुत्र रूघनाथराम उर्फ रूगाराम
5. हजारीराम पुत्र रूघनाथराम उर्फ रूगाराम फौत के कायम मुकामः -
   - 5.1. पप्पूराम पुत्र हजारीराम
   - 5.2. राजाराम पुत्र हजारीराम
   - 5.3. जगदीश पुत्र हजारीराम
   - 5.4. कबूड़ी पुत्री हजारीराम
   - 5.5. सुशिला पुत्री हजारीराम फौत के कायम मुकामः -
     - 5.5.1. निकिल पुत्र सुशीला
     - 5.5.2. गोविंदराम पुत्र सुशिला, दोनो नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सुशिला
   - 5.6. रामप्यारी पत्नी श्री हजारीराम
6. मूलाराम पुत्र रूघनाथराम उर्फ रूगाराम

समस्त जातियान् कुम्हार, निवासीगण- सुरपुरा मण्डोर, तहसील व जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. देवाराम पुत्र शंकरराम उर्फ शंकरलाल
02. पूसाराम पुत्र शंकरराम उर्फ शंकरलाल

जातियान् कुम्हार, निवासीगण- सुरपुरा मण्डोर, तहसील व जिला जोधपुर।

03. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 23 मई 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी उत्तर जोधपुर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 18/2021 देवाराम बनाम लिछमणराम इत्यादि

14.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपस्थित-
श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री माधवराज चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या तीन

निर्णय

दिनांक : 14 फरवरी 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी उत्तर जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 18/2021 अनवान देवाराम बनाम लिछमणराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 23 मई 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 05 जुलाई 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 281, 284, 331 ग्राम सुरपुरा तहसील जोधपुर के संबंध धारा 88 व 188 आर.टी. एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23 मई 2022 के जरिये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से के रेकर्डेड खातेदार है। कानूनन रेकर्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी

14.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्धारक तीनों बिंदुओं यथाः - प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतलन एवं अपूरणीय क्षति पर विस्तृत निष्कर्ष पारित किये बिना आलौच्य आदेश पारित किया है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट्स के पिता का कब्जा काश्त होने से अपीलांट के पिता अकेले के नाम वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी दर्ज की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किये बिना आलौच्य आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश के प्रभाव से अपीलांट हजारीराम की फौतेदगी उपरांत उनका विरासतन नामांतरकरण रुका हुआ है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन अपीलांट्स के पक्ष में है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश दिनांक 23 मई 2022 को खारिज फरमाया जावे

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक ने अपनी लिखित बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट अपीलांट के दादा भीखाराम के नाम दर्ज रहने से उभय पक्ष की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है। विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सुस्पष्ट विधिक प्रावधानों के तहत विधिसम्मत आदेश पारित किया है। रेस्पोडेंट नामांतरकरण की कार्यवाही करवाकर कर वादग्रस्त आराजी को खुर्द-बुर्द करने पर आमादा है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरुप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

14.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजी संवतः 2036-2039 में अपीलांट के पिता शंकरलाल के नाम दर्ज रही है। तहसीलदार जोधपुर द्वारा शुद्धि पत्र दिनांक 12.06.1985 के जरिये वादी के पिता का नाम हटाये जाने का का आदेश पारित किया है।

विचारण न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के संबंध में खातेदारी घोषणा का मूल वाद विचाराधीन है। अदालत हाजा विचारण न्यायालय के इस मत से सहमत है कि किसी खातेदार का नाम खातेदार को बिना सुनवाई के हटाया जा सकता है, यह सब विचारण न्यायालय में विचाराधीन मूल वाद में बाद तनकीयात कायमी, उभय पक्ष की साक्ष्य आदि ली जाकर तय किया जाना है। विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

जहां तक अपीलांट का उज है कि अपीलांट हजारीराम की फौतेदगी उपरांत अपीलाधीन आदेश के प्रभाव से उनका फौतेदगी नांमातरकरण रुका हुआ है। इस संबंध में अदालत हाजा की राय में फौतेदगी नामांतरकरण से अपीलांट के हितो पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिहाजा अपीलाधीन आदेश में स्व. हजारीराम के विरासतन नामांतरकरण की छूट दिया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक रूप से अपीलांट स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी उत्तर जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 18/2021 अनवान देवाराम बनाम लिछमणराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 23 मई 2022 में अपीलांट हजारीराम के विरासतन नामांतरकरण

14.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की छूट प्रदान की जाती है तथा बाद नामांतरकरण कार्यवाही अपीलांट हजारीराम के वारिसान् अपीलाधीन आदेश से पाबंद रहेंगे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.2.24

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर